बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611/2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 10.09.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरूद्व, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 915 लीटर अवैध शराब जप्त किया गया।

   इसके साथ ही पश्चिम चम्पारण जिले में ₹10,00,000/–(दस लाख रूपये) मात्र की अवैध भारतीय मुद्रा को जप्त किया गया है।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :–

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	59
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	4
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	12

3. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :–

No. of Arms/Weapons seized	13
No. of cartridges seized	28
No. of Licensed Arms deposited	85
No. of non-bailable warrants executed	97
Fine collected in vehicle checking	Rs. 10,13,504

4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के सभा कक्ष में निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के लिए कार्यरत एजेंसियों यथा पुलिस, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया, रेलवे, CISF के साथ बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 की तैयारियों के मद्देनजर प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सभी एजेंसियों को उनसे संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों से अवगत कराते हुए उसका अनुपालन करने तथा सभी मामलों को

ससमय प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।

निर्वाचन के दौरान राज्य में आने वाली सभी प्रमुख ट्रेनों के ए०सी० I/ए०सी० II के सभी कोचों, पैंट्री कार, लगेज वान एवं राज्य के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों के क्लॉक रूम, वेटिंग रूम आदि का औचक निरीक्षण करने हेतु जिलावार जाँच दल गठित करने का निदेश दिया गया। नगदी के परिचालन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं उसका सख्ती से अनुपालन कराने का भी निदेश दिया गया।

****